



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022020-216442
CG-DL-E-27022020-216442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 789]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2020/फाल्गुन 7, 1941

No. 789]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2020/PHALGUNA 7, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग -V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2020

सं. 13/2020

का.आ. 862(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उप-धारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22), की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पंजाब एवं हरियाणा राज्य के प्रत्येक सत्र प्रभाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280क की उपधारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 के प्रयोजन हेतु उनकी संबंधित क्षेत्र-अधिकारिता के भीतर विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

[फा. सं. 285/33/2019-आइटी (अन्वे. V) सीबीडीटी]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी) (अन्वे.), सीबीडीटी